न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कर्ण सिंह गोठवाल, आर.ए.एस.

अपील 183(बी)प्रकरण सं0 21/2014

1. दासा राम
2. सीतोबाई
3. सेवाराम
4. जम्मुराम
5. रामप्यारी
6. वीरूसिंह पिसरान स्व0 अमरदास पुत्र कुशालाराम अकवाम बावरीयान सकनाए खैरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. महेन्द्रकौर जोजा बचनसिंह पुत्री कुशालाराम जाति बावरी निवासी बुटर तहसील मोगां (पंजाब)
8. बचनाराम पुत्र श्री कुशालाराम जाति बावरी निवासी खैरूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

अपीलांटस

बनाम

1. बुटाराम पुत्र श्री दयालराम पिसर मुतबना मंगतराम जाति बावरी निवासी खैरूवाला
2. जगसीरराम पुत्र श्री ठाकर राम जाति बावरी निवासी हाथियॉवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. शमोबाई पत्नी श्री नथुराम जाति बावरी निवासी तख्तहजारा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. लक्ष्मीबाई पत्नी श्री नत्थुराम जाति बावरी निवासी गुडिया तहसील संगरिया जिला श्रीगंगानगर।
5. तारोबाई पत्नी श्री मक्खनसिंह जाति बावरी निवासी रामसिंहवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ
6. छिन्दोबाई पत्नी श्री राजूराम जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. रजोबाई पत्नी कलवन्तसिंह जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 06.05.2014 तहसीलदार, सादुलशहर

उपस्थित :

1. श्री धर्मेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता, अपीलकर्त्तागण
2. श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, रेस्पोडेंट

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

P.C. Attested

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

आदेश

दिनांक : 05.02.2016

प्रस्तुत अपील अपीलांटस द्वारा अ0 धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके सक्षेंप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 23 पीटीडी तहसील सादुलशहर के मु0 नं0 93/138 के कि0 नं0 22 ता 25 की 4 बीघा, मु0 नं0 93/139 के कि0 नं0 1 ता 10 बीघा कुल 14 बीघा भूमि मृतक मंगतूराम पुत्र दयालाराम के नाम से रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी। मंगतूराम लाऔलाद फौत हो गया व उसकी एक सगी बहिन बीबो थी, जिसका स्वर्गवास हो चुका है। बीबो की चार संतानें हुई, जिसमें अमरदास, महेन्द्रकौर बुधो व बचनाराम बतौर जायज वारिस हैं। तहसीलदार, सादुलशहर के निर्णय दिनांक 26–7–1988 के तहत चारों के नाम कागजात रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया। बुटाराम द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में अपील की गई। अपीलीय निर्णय दिनांक 27–8–90 द्वारा मामला रिमाण्ड कर दिया गया। इसके बाद दोनों पक्षों को सुनकर तहसीलदार, सादुलशहर ने अपने निर्णय दिनांक 28–7–95 को पूर्व आदेश दिनांक 26–7–88 को बहाल रखा। इस पर संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष अपील की गई। अपील निर्णय में यह लिखते हुए अपील खारिज कर दी गई कि पूर्व में दो बार प्रकरण रिमाण्ड किया जा चुका है। इसके बाद रेस्पो0 सं0 1 ने राजस्व मण्डल में अपील दायर कर दी जो दिनांक 27–11–02 को खारिज हो गई तब तहसीलदार, सादुलशहर ने अपने निर्णय दिनांक 3–9–09 को अति0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर, राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय के तहत तहसीलदार, सादुलशहर के निर्णय दिनांक 28–7–95 की पालना में अपीलांट का नामान्तरण स्वीकार कर लिया था। रेस्पो0 सं0 1 ने फर्जी वसीयतनामा व गोदनामा मंगतुराम के संबंध में स्वंय के बना रखे थे जो विशेषज्ञ की जॉच होने पर मंगतूराम के अगूँठों से भिन्न पाये गये। तहसीलदार, सादुलशहर के द्वारा दिनांक 3–9–03 को अपीलांट के पक्ष में किया गया नामान्तरण सं0 175 है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30–4–14 को बहस सुनी गई थी। आगामी पेशी 6–5–14 मुकर्रर की गई, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30–4–14 को ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। दिनांक 18–4–13 को अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 सं0 1 को अतिक्रमी मानते हुए उक्त 14 बीघा भूमि का कब्जा अपीलांट को सुपुर्द कर दिया था, तब से लेकर आज तक अपीलांट ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–4–13 के निर्णय को अनदेखा करते हुए एवं रेस्पो0 सं0 1 के द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पत्रों पर बिना जिरह करवाये एवं बिना निर्णय की पेशी के निर्णय सुनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही दिनांक 3–9–03 को अपीलांट के नाम से नामान्तरण सं0 175 दर्ज किया हुआ है। रेस्पो0 सं01 कभी भी मंगतूराम के गोद नहीं गया है। रेस्पो0 सं0 1 का उक्त 14 बीघा भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय से रेकार्ड प्राप्त होने के बाद उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांटास के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि चक 23 पीटीडी तहसील सादुलशहर के मु0 नं0

P.C. Attested

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

93/138 के कि0 नं0 22 ता 25 की 4 बीघा, मु0 नं0 93/139 के कि0 नं0 1 ता 10 बीघा कुल 14 बीघा भूमि मृतक मंगतूराम पुत्र दयालाराम के नाम से रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी। मंगतूराम लाऔलाद फौत हो गया व उसकी एक सगी बहिन बीबो थी, जिसका स्वर्गवास हो चुका है। बीबो की चार संतानें हुई, जिसमें अमरदास, महेन्द्रकौर बुधो व बचनाराम बतौर जायज वारिस हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30–4–14 को बहस सुनी गई थी। आगामी पेशी 6–5–14 मुकर्रर की गई, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30–4–14 को ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। दिनांक 18–4–13 को अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 सं0 1 को अतिक्रमी मानते हुए उक्त 14 बीघा भूमि का कब्जा अपीलांट को सुपुर्द कर दिया था, तब से लेकर आज तक अपीलांट ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–4–13 के निर्णय को अनदेखा करते हुए एवं रेस्पो0 सं0 1 के द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पत्रों पर बिना जिरह करवाये एवं बिना निर्णय की पेशी के निर्णय सुनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही दिनांक 3–9–03 को अपीलांट के नाम से नामान्तरण सं0 175 दर्ज किया हुआ है। रेस्पो0 सं01 कभी भी मंगतूराम के गोद नहीं गया है। रेस्पो0 सं0 1 का उक्त 14 बीघा भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से कानूनी प्रावधानों की पालना करते हुए विधिसम्मत् पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है और न ही हस्तक्षेप की गुजांयश है। अपील सारहीन है। अतः खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि मंगतराम के नाम से चक 23 पी.टी.पी. तहसील सादुलशहर के मु0 नं0 93/138 के कि0 नं0 22 ता 25 कुल 4–00 बीघा तथा मु0 नं0 93/139 के कि0 नं0 1 ता 10 बीघा, कुल 14 बीघा दर्ज कागजात थी। मंगतराम और उसकी पत्नी ने बूटाराम को अपने जीवनकाल में गोद लेकर मंगतूराम ने उक्त सम्पति की वसीयत बूटाराम के नाम कर दी थी। वसीयत के आधार पर प्रोवेट की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में लंबित है। मंगतराम की मृत्यू के बाद लाऔलाद फौत होने का कथन करके रेस्पो0 ने अपने नाम से इंतकाल दर्ज करवा लिया। माननीय अति0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर के निर्णय दिनांक 31–3–13 द्वारा रेस्पो0 के पक्ष में फैसला हुआ और धारा 183(बी) की कार्यवाही में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–4–13 को न्यायालय के आदेश से रेस्पो0 ने कब्जा प्राप्त कर लिया। इसके विरूद्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में, इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 4–1–14 को निर्णय पारित कर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर, प्रकरण में दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए, पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। दिनांक 4–1–14 के निर्णय के विरूद्व अपीलांट द्वारा मा0 राजस्व मण्डल में निगरानी पेश हुई, जिसमें मा0 मण्डल द्वारा बूटाराम को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए विचारण न्यायालय एक माह में मामले का निस्तारण करें तब तक विवादास्पद भूमि पर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

P.C. Attested

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

रेकार्ड व कब्जे की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया गया। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में विवादित भूमि पर बूटाराम का 30–35 वर्षो से कब्जा काश्त होना बताया है। मामला माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। जब तक स्वत्वाधिकार का निर्णय अंतिम न हो जाये, रेस्पो0 के कब्जे के विरूद्व किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः मेरे विन्रम मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 05–02–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/2/16

(कर्णसिंह गोदवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

P. C. Attested

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)